


राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	संज्या बनाम बाबूलाल हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>27/04/2026</p> <p>28/04/2026</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/04/2026 को पेश हो।</p> <p>आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रैस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के रक्षक एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21/10/2009 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23/06/2016 पारित करते हुये उभयपक्षों को ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी </p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना किये बगैर ही एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनों तत्वों क्रमशः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का कोई परिक्षण/विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसरण में त्रुटीपूर्ण होने से निरस्तनीय जाहिर होता है </p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/06/2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति...षित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचित करते हुये विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करे तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 28/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	<div style="text-align: center;">  <p>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर</p> </div>